न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।

CNR NO UPSP040260722026

सरकार बनाम आसिफ

मुकदमा अपराध संख्या–478/2025
धारा–115(2), 352, 351(3), 324(3)बी.एन.एस.
थाना–कोतवाली मण्डी, जिला सहारनपुर

29.04.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **आसिफ पुत्र इब्राहिम** की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 478/2025 धारा 115(2),352,351(3),324(3) बी.एन.एस. थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर में प्रस्तुत कर जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना कर कथन किया गया है कि वह निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी पर्याप्त जमानत देने को तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमपर्ण किया गया तत्पश्चात न्यायिक अभिरक्षा मे लिया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरेाध किया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। प्रस्तुत मामले में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है तथा जमानतीय प्रकृति के हैं। अतः आरोपित अपराध की प्रकृति एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **आसिफ पुत्र इब्राहिम** का जमानत प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 **25 हजार रूपये** का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के **एक** प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

(मिनाक्षी सिन्हा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सहारनपुर